03/12/25 पत्रावली पेश हुई। दावा वादी आंशिक डिक्री किया जाता है। निम्नलिखित निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नियम के [illegible] दाखिल दफ्तर हो। आदेश सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem Raj Meena
Date: 2026.05.01 13:01:39 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(औ 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम करौली व इजलास प्रेमराज मीना (आर.ए.एस.)

उनवान

1. जगन्नाथ पुत्र स्व0 भौदूराम उम्र 50 साल (मृतक)
   - 1/1– कैलाश
   - 1/2– परसौत्तम
   - 1/3– मुरारी
   - 1/4– प्रेमलता
   - 1/5– सन्तरा
   - 1/6– सीमा

   } पुत्री/पुत्रीयान स्व0 जगन्नाथ
   - 1/7– रूपवाई बेवा जगन्नाथ
2. प्रकाश उम्र 35 साल
3. रोशन उम्र 30 साल
4. रामकेश उम्र 25 साल

   } पुत्रान स्व0 रामचरण
5. माया
6. चन्द्रो

   } पुत्रीयान स्व0 रामचरण
7. पूनी बेवा रामचरण

सभी जाति माली निवासीयान मौहल्ला केशवपुरा तहसील करौली जिला करौली (राज0)

—वादीगण

बनाम

1. दली उर्फ रामदयाल पुत्र कन्हैया उम्र 40 साल
2. पप्पू पुत्र कन्हैया उम्र 32 साल
3. मोहरसिंह पुत्र कन्हैया उम्र 27 साल
   सभी जाति माली निवासीयान कल्लापुरा तहसील करौली जिला– करौली
4. बद्री पुत्र जयलाल जाति मीना निवासी भांकरी तहसील मण्डरायल करौली

—**प्रतिवादीगण**

दावा बाबत 188 आर टी एक्ट

मुकदमा नं. 57/09

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजिरी **श्री दिनेश बंसल, एडवाकेट** मिनजानिब [illegible] रूबरू .... मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व अतः दावा वादीगण विरूद्व [illegible] वादीगण आंशिक डिक्री किया जाता है कि प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वह [illegible]जी खसरा नंबर 4337 लगायत 4346 कुल किता 8 कुल रकबा 2 बीघा 4 बिस्वा कस्बा करौली पटवार हल्का [illegible] 9 तहसील करौली में वादीगण के कब्जेकाश्त में रूकावट नहीं करे एवं भूमि मे निर्माण नहीं करे एवं भूमि को [illegible] वय नहीं करें। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

[illegible] .... मुबलिग .... बाबत .... खर्चा इस मुकदमे के [illegible] सूद निज बगरह ....फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .... का अदा करें।

बसख्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 23/12/25 को सन् 2025 को जारी गई।

र

(हस्ताक्षर)

उपखण्ड अधिकारी

करौली

करौली (राज0)

[illegible]ई	रूपया	पैसे	मुद्दायलह	रूपया	पैसे
[illegible]म्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
[illegible]म्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
[illegible]म्प बजह सबूत			महन्ताना अर्जी		
[illegible]न्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
[illegible]र्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
[illegible]स कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
[illegible]बत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
[illegible]तफरिक					
मीजान			मीजान		

(हस्ताक्षर)

उपखण्ड अधिकारी,

करौली (राज0)

[illegible]ट:–इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेत का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं दर्ज [illegible]राना चाहिये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem Raj
Date: 2026.05.01 13:01:39 IS[illegible]
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी करौली (राज0)

पीठासीन अधिकारी प्रेमराज मीना, उपखण्ड अधिकारी (RAS)

मु0न0:–57/09 तारीख रजु:–29.6.09

उनवान

1. जगन्नाथ पुत्र स्व0 भौदूराम उम्र 50 साल।मृतक।
   - 1/1– कैलाश
   - 1/2– परसौत्तम
   - 1/3– मुरारी
   - 1/4– प्रेमलता
   - 1/5– सन्तरा
   - 1/6– सीमा

   पुत्री/पुत्रीयान स्व0 जगन्नाथ

   1/7– रूपवाई बेवा जगन्नाथ
2. प्रकाश उम्र 35 साल
3. रोशन उम्र 30 साल
4. रामकेश उम्र 25 साल

   पुत्रान स्व0 रामचरण
5. माया
6. चन्द्रो

   पुत्रीयान स्व0 रामचरण
7. पूनी बेवा रामचरण

सभी जाति माली निवासीयान मौहल्ला केशवपुरा तहसील करौली जिला करौली।राज0।

––वादीगण

बनाम

1. दली उर्फ रामदयाल पुत्र कन्हैया उम्र 40 साल
2. पप्पू पुत्र कन्हैया उम्र 32 साल
3. मोहरसिंह पुत्र कन्हैया उम्र 27 साल

   सभी जाति माली निवासीयान कल्लापुरा तहसील करौली जिला– करौली
4. बद्री पुत्र जयलाल जाति मीना निवासी भांकरी तहसील मण्डरायल करौली

––प्रतिवादीगण

दावा बाबत 188 आर टी एक्ट

–::निर्णय::– दिनांक:–23/12/25

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem Raj M
Date: 2026.05.01 13:01:39 IST
Reason: SelfAttested

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि आराजी खसरा नम्बर 4338 रकवा 12 विस्वा, खसरा नम्बर 4337 रकवा 2 विस्वा, खसरा नम्बर 4339 रकवा 1 विस्वा, खसरा नम्बर 4340 रकवा 1 विस्वा, खसरा नम्बर 4341 रकवा 2 विस्वा, खसरा नम्बर 4344 रकवा 12 विस्वा, खसरा नम्बर 4345 रकवा 6 विस्वा, खसरा नम्बर 4346 रकवा 8 विस्वा कुल किता 8 कुल रकवा 2 वीघा 04 विस्वा स्थित कस्बा करौली वादीगण के संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की है जिसका इन्द्राज राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में वादीगण के हक में अंकित है। खसरा नम्बर

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज0)

4338 आम रास्ता खसरा नम्बर 4638 से लगी हुई है जिसमें काश्त उपयोग हेतू वादीगण का पुख्ता भवन बने हुए है। और वादीगण काश्त उपयोग हेतु उक्त भवन पर काबिज है। रियासत कर रहे हे। वादीगण के कृषि उपकरण रखे हुए है। चाह से आराजी सिंचाई करते है और आराजी के कृषि उपयोग हेतु निर्मित भवन में वादीगण रिहायश करते है काबिज है और आराजी पर वादीगण काबिज काश्त है वादीगण की उक्त आराजीयात से प्रतिवादीगण का किसी प्रकार का खातेदारी काश्तकारी मालिकाना, काबिजाना सम्बन्ध नही है। प्रतिवादीगण कल्लापुरा ग्राम के स्थायी निवासी है। वादीगण की जायदाद से प्रतिवादीगण का कोई सम्बन्ध नही है खसरा नम्बर 4338 व उसमें निर्मित भवन वादीगण को प्रतिवादीगण को विधि कि किसी भी रीति सेस्तान्तरित करने का, हस्तान्तरण दस्तावेज पंजीयन कराने का वादीगण के कब्जे उपयोग उपभोग में व्यवधान करने का विधिक अधिकार नही है। वादीगण की आराजी खसरा नम्बर 4338 के हिस्से में बने भवन वादीगण को दीगर व्यक्ति को हस्तान्तरित करने पर आमदा है। प्रतिवादीगण ने वादीगण को उसकी कृषि भूमि से उसमें बने भवन से वंचित करने की वदनियति से दीगर व्यक्तियों से हस्तान्तरित करने की बातचीत कर रहे है 'प्रतिवादीगण की यह कार्यवाही अनाधिकार है जिससे हक हकूक वादीगण पर आघात है और वादीगण को अपूर्णीय क्षति है और भारी असुविधा है। वादीगण को कब्जे व खातेदारी की भूमि को व उसमें निर्मित कृषि भवन को उपयोग उपभोग करने का वादीगण को कब्जा बनाये रखने का विधिक अधिकार है और वादीगण के इस विधिक अधिकार में प्रतिवादीगण द्वारा व्यवधान करने पर आघात करने पर न्यायालय को वादीगण के हक में स्थाई निषेधाज्ञा जारी करने का अधिकार प्राप्त है। प्रतिवादीगण ने दिनांक 24.06.2009 के दिवस वादीगण की खातेदारी व कब्जे की भूमि खसरा नम्बर 4338 व उसमें बने कृषि भवन को हस्तांतरित करने के हस्तांतरण दस्तावेज पंजीयन कराने की ऐलानिया कहा है। वादीगण द्वारा मना करने पर प्रतिवादीगण झगडा फिसाद करने पर आमादा है वादीगण ने दिनांक 25.06.2009 के दिवस इस बावत अतिरिक्त जिला कलेक्टर महोदय करौली को एवं नगर पालिका क[illegible] आवेदन प्रस्तुत किया है जिसमें बताया गया है कि वादीगण की [illegible] व उपयोग उपभोग की भूमि कृषि उपयोग हेतु भवन के [illegible] करौली बेचान अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी न करें एवं सब रजिस्ट्रार क[illegible] वयनामा पंजीयन तस्दीक नही रकें परन्तु प्रतिवादीगण अपनी नाजायज हरकतों से बाज नही आ रहे है और अवैध तौर पर हस्तान्तरण करने पर तुले हुए है। इसलिऐ यह वादपत्र प्रस्तुत करना आवश्यक आया है। प्रतिवादीगण ने वादीगण के कब्जे व उपयोग उपभोग में व्यवधान करने की, वादीगण को जबरन भूमि में व

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem Raj M
Date: 2026.05.01 13:01:39 IST
Reason: SelfAttested

उसमें निर्मित कृषि उपयोग हेतु भवन से जबरन बेदखल करने की ऐलानिया कहा है। इसलिए वादीगण प्रतिवादीगण के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने की अधिकारी है। प्रतिवादी नम्बर 2 व 3 ने दिनांक 10.07.2009 को वादी जगन्नाथ द्वारा सब रजिस्ट्रार करौली के समक्ष आवेदन कर प्रतिवादी नम्बर 2 व 3 के विरूद्व वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र की जानकारी कराने के बावजूद अनाधिकार तौर पर अवैध रूप से दौराने दावा बद्री पुत्र जयलाल जाति मीना निवासी भॉकरी तहसील मण्डरायल को बयनामा पंजीयन करा दिया है। उक्त बेचान दौराने दावा है लिस पैन्डिस है शून्य है। वादीगण पर बाध्यकारी नही है। उक्त बयनामा हक हकूक वादीगण पर प्रभावहीन व शून्य है। और बेअसर है। विनाय मखास्मत दावा दिनांक 24.06.2009 के दिवस प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण से ऐलानिया भूमि हस्तांतरण करने की हस्तांतरण दस्तावेज भूमि व उसमें निर्मित भवन के सम्बन्ध में हस्तातन्रण दस्तावेज पंजीयन कराने की कहने पर वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण को मना करने पर प्रतिवादीगण द्वारा झगडा फिसाद करने पर पैदा हुई है। दावा अन्दर मियाद प्रस्तुत है। अंत दावा वादीगण डिक्री किये जाने का निवेदन किया है।

दावा वादी दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी नंबर 1 ता 3 द्वारा जबाव दावा प्रस्तुत कर कथन किया है कि आराजी खसरा नम्बर 4338 रकवा 12 विस्वा, खसरा नम्बर 4337 रकवा 2 विस्वा, खसरा नम्बर 4339 रकवा 1 विस्वा, खसरा नम्बर 4340 रकवा 1 विस्वा, खसरा नम्बर 4341 रकवा 2 विस्वा, खसरा नम्बर 4344 रकवा 12 विस्वा, खसरा नम्बर 4345 रकवा 6 विस्वा, खसरा नम्बर 4346 रकवा 8 विस्वा कुल किता 8 कुल रकवा 2 बीघा 04 विस्वा स्थित कस्बा करौली वादीगण के संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की है जिसका इन्द्राज राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में वादीगण के हक में अंकित है। खसरा नम्बर 4338 आम रास्ता खसरा नम्बर 4638 से लगी हुई है जिसमें काश्त उपयोग हेतू वादीगण का पुख्ता भवन बने हुए है। और वादीगण काश्त उपयोग हेतु उक्त भवन पर काबिज है। रियासत कर [illegible] वादीगण के कृषि उपकरण रखे हुए है। चाह से आराजी [illegible] आराजी के कृषि उपयोग हेतु निर्मित भवन में वादीगण [illegible] है और आराजी पर वादीगण काबिज काश्त है वादीगण की उक्त आराजीयात [illegible] प्रतिवादीगण का किसी प्रकार का खातेदारी काश्तकारी मालिकाना, काबिजाना सम्बन्ध नही है। प्रतिवादीगण कल्लापुरा ग्राम के स्थायी निवासी है। वादीगण की जायदाद से प्रतिवादीगण का कोई सम्बन्ध नही है खसरा नम्बर 4338 व उसमें निर्मित भवन वादीगण को प्रतिवादीगण को विधि कि किसी भी रीति सेस्तान्तरित

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem Raj
Date: 2026.05.01 13:01:39 IS
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

करने का, हस्तान्तरण दस्तावेज पंजीयन कराने का वादीगण के कब्जे उपयोग उपभोग में व्यवधान करने का विधिक अधिकार नही है। वादीगण की आराजी खसरा नम्बर 4338 के हिस्से में बने भवन वादीगण को दीगर व्यक्ति को हस्तान्तरित करने पर आमदा है। प्रतिवादीगण ने वादीगण को उसकी कृषि भूमि से उसमें बने भवन से वंचित करने की वदनियति से दीगर व्यक्तियों से हस्तान्तरित करने की बातचीत कर रहे है प्रतिवादीगण की यह कार्यवाही अनाधिकार है जिससे हक हकूक वादीगण पर आघात है और वादीगण को अपूर्णीय क्षति है और भारी असुविधा है। वादीगण को कब्जे व खातेदारी की भूमि को व उसमें निर्मित कृषि भवन को उपयोग उपभोग करने का वादीगण को कब्जा बनाये रखने का विधिक अधिकार है और वादीगण के इस विधिक अधिकार में प्रतिवादीगण द्वारा व्यवधान करने पर आघात करने पर न्यायालय को वादीगण के हक में स्थाई निषेधाज्ञा जारी करने का अधिकार प्राप्त है। प्रतिवादीगण ने दिनांक 24.06.2009 के दिवस वादीगण की खातेदारी व कब्जे की भूमि खसरा नम्बर 4338 व उसमें बने कृषि भवन को हस्तांतरित करने के हस्तांतरण दस्तावेज पंजीयन कराने की ऐलानिया कहा है। वादीगण द्वारा मना करने पर प्रतिवादीगण झगडा फिसाद करने पर आमादा है वादीगण ने दिनांक 25.06.2009 के दिवस इस बावत अतिरिक्त जिला कलेक्टर महोदय करौली को एवं नगर पालिका करौली में आवेदन प्रस्तुत किया है जिसमें बताया गया है कि वादीगण की खातेदारी व कब्जे व उपयोग उपभोग की भूमि कृषि उपयोग हेतु भवन के सम्बन्ध में नगर पालिका करौली बेचान अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी न करें एवं सब रजिस्ट्रार करौली वयनामा पंजीयन तस्दीक नही रकें परन्तु प्रतिवादीगण अपनी नाजायज हरकतों से बाज नही आ रहे है और अवैध तौर पर हस्तान्तरण करने पर तुले हुए है। इसलिऐ यह वादपत्र प्रस्तुत करना आवश्यक आया है। प्रतिवादीगण ने वादीगण के कब्जे व उपयोग उपभोग में व्यवधान करने की, वादीगण को जबरन भूमि में व उसमें निर्मित कृषि उपयोग हेतु भवन से जबरन बेदखल करने की ऐलानिया कहा है। इसलिए वादीगण प्रतिवादीगण के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने की अधिकारी है। वादी जगन्नाथ द्वारा सब रजिस्ट्रार करौली के समक्ष आवेदन कर प्रतिवादी नम्बर 2 व 3 के विरूद्व वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र की जानकारी कराने के बावजूद अनाधिकार तौर पर अवैध रूप से दौराने दावा बद्री पुत्र जयलाल जाति मीना निवासी भॉकरी तहसील मण्डरायल को वयनामा पंजीयन करा दिया है। उक्त बेचान दौराने दावा है लिस पैन्डिस है शून्य है। वादीगण पर बाध्यकारी नही है। उक्त वयनामा हक हकूक वादीगण पर प्रभावहीन व शून्य है। और बेअसर है। विनाय मखास्मत दावा दिनांक 24.06.2009 के दिवस प्रतिवादीगण

उपखण्ड अधिकारी

Signature Not
Digitally signed by
Date: 2026.05.01
Reason: SelfAttes

द्वारा वादीगण से ऐलानिया भूमि हस्तांतरण करने की हस्तांतरण दस्तावेज भूमि व उसमें निर्मित भवन के सम्बन्ध में हस्तातन्रण दस्तावेज पंजीयन कराने की कहने पर वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण को मना करने पर प्रतिवादीगण द्वारा झगड़ा फिसाद करने पर पैदा हुई है। दावा अन्दर मियाद प्रस्तुत है। अंत में दावा वादी खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

प्रतिवादी नंबर 4 द्वारा जबाव दावा प्रस्तुत कर कथन किया है कि आराजीयात खसरा नम्बर 4638 में कोई भवन नही है मकान अलग से आबादी में बने हुये है जिनसे वादीगण का कोई हक व सम्बन्ध नही है एवं कब्जा नही है न कभी कोई कृषि उपकरण रखे न अब रखे है बल्कि सही बात यह है कि मुझ प्रतिवादी द्वारा उक्त मकान को कय करने से पूर्व प्रतिवादीगण 1 ता 3 उक्त भवन पर काबिज मालिक थे यह मकान प्रतिवादीगण 1 ता 3 के पिता कन्हैया माली ने जरिये रजिस्टर्ड बयनामा दिनांक 12/4/93 को 15000/–रूपयें में घीस्या पुत्र कल्ली माली निवासी केशवपुरा से कय किया और यौम खरीद पर प्रतिवादीगण के पिता काबिज थे और उनके साथ ही प्रतिवादीगण 1 ता 3 काबिज थे और कन्हैया की मृत्यु के बाद से प्रतिवादीगण नं0 1 ता 3 काबिज मालिक थे। आराजी खसरा नम्बर 4638, 4338 में न तो पहले कोई भवन था न अब भवन है बल्कि आबादी में भजन बना हुआ है। जिस पर पहले घीस्या पत्रु कल्ली माली निवासी केशवपुरा करौली मालिक काबिज थे जिन्होनें दिनांक 12/4/94 को जरिये रजिस्टर्ड बयनामाा प्रतिवादीगण 1 लगायत 3 के पिता कन्हैयालाल पुत्र सुजान माली निवासी केशश्वपुरा करोली को वय कर दिया और यौम खरदी से प्रतिवादीगण 1 लागयत 3 के पिता कन्हैया के साथ प्रतिवादीगण 1 लगायत 3 मालिक काबिज थे और इस भवन को प्रतिवादीगण 1 लगायत 3 को उनके पिता कन्हैया की मृत्यु के बाद रहन वय करने का पूर्ण हक हासिल था इसलिये प्रतिवादीगण मोहरसिंह, कमरसिंह ने उपरोक्त मकान को जरिये रजिस्टर्ड बयनामा दिनांक 10/7/2009 को 200000/– रूप्यें अंकन दो लाख रूप्यें में मुझ प्रतिवादी को वय कर दिया और यौम खरीद से मुझ प्रतिवादी का कब्जा एवं हक मालिकाना है वादीण्गा का न तो पहले कभी कब्जा था न कभी रहा इसलिये वादीगण को बेदखल करने का प्रश्न ही उत्पन्न नही होता है वादीगण कोई भी स्थायी निषेधाज्ञा पाने के अधिकारी नही है। दिनांक 24/6/09 को वादीगण को कोई विनाय मुखासमत पैदा नही हुयी दावा म्याद बाहर है। मकान कृषि भूमि में बना हुआ नही है आबादी में बना हुआ है जिसके बाबत दावा न्यायालय हाजा में चलने योग्य नही है दावा सिविल न्यायालय के हक समाअत का हे इसलिये दावा

Signature Not V
Digitally signed by
Date: 2026.05.01 1
Reason: SelfAtteste

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज0)

वादीगण चलने योग्य नही है खारिज होने योग्य है। अंत में दावा वादी खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

वादीगण व प्रतिवादीगण के अभिवचनों के आधार पर निम्न विवाद्यक बिन्दू विरचित किये गये है:–

1. आया विवादित आराजीयात दर्ज वादपत्र वादीगण के खातेदारी व कब्जे काश्त की है। वादीगण प्रतिवादीगण को स्वथायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने के अधिकारी है। ––वादीगण
2. आया दावा वादीगण म्याद बाहर हैं।

––प्रतिवादीगण

3. आया प्रतिवादीगण की मकानीयत ख0नं0 4638 च 4338 में नही होकर आवादी भूमि में हैं।

––प्रतिवादीगण

4. आया दावा वादी क्षेत्राधिकार के अभाव में चलने योग्य नही है।

––प्रतिवादीगण

5. अनुतोष :–

मजीद तनकी :–6 आया विवाद्यक भूमि का प्रतिवादी नंबर 2 व 3 द्वारा दिनांक 10.07.2009 को बद्री पुत्र जयलाल मीना को करायागया वयनामा दौराने दावा होने से लिसपेण्डिस है, हक हकूक वादीगण पर शून्य प्रभावहीन है

–वादी

वाद विवाद्यक बिन्दू वादी साक्ष्य ली गई। वादी ने अपनी मौखिक साक्ष्य में वादी कैलाश गुप्ता पीडब्ल्यू–1 के बयान लेखबद्व कराये है एवं दस्तावेजी सबूत में जमाबंदी संवत 2064–67 प्रदर्श–1 पेश की है। साक्ष्यवादी समाप्त की जाकर बंद की गई।

प्रतिवादीगण कोई साक्ष्य पेश नहीं करने दिनांक 18.12.2025 को साक्ष्य प्रतिवादी बंद की गई।

बहस वकील वादी सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

वकील वादीगण का बहस में कथन है कि आराजी खा. नम्बर 4338 रकवा 12 विस्वा, खसरा नम्बर 4337 रकवा 2 विस्वा, खसरा नम्बर 4339 रकवा 1 विस्वा, खसरा नम्बर 4340 रकवा 1 विस्वा, खसरा नम्बर 4341 रकवा 2 विस्वा, खसरा नम्बर 4344 रकवा 12 विस्वा, खसरा नम्बर 4345 रकवा 6

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem Raj M
Date: 2026.05.01 13:01:39 IS
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

विस्वा, खसरा नम्बर 4346 रकबा 8 विस्वा कुल किता 8 कुल रकबा 2 बीघा 04 विस्वा स्थित करबा करौली वादीगण के संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की है जिसका इन्द्राज राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में वादीगण के हक में अंकित है। खसरा नम्बर 4338 आम रास्ता खसरा नम्बर 4638 से लगी हुई है जिसमें काश्त उपयोग हेतू वादीगण का पुख्ता भवन बने हुए है और वादीगण काश्त उपयोग हेतु उक्त भवन पर काबिज है। रियासत कर रहे है। वादीगण के कृषि उपकरण रखे हुए है। चाह से आराजी सिंचाई करते है और आराजी के कृषि उपयोग हेतु निर्मित भवन में वादीगण रिहायश करते है काबिज है और आराजी पर वादीगण काबिज काश्त है वादीगण की उक्त आराजीयात से प्रतिवादीगण का किसी प्रकार का खातेदारी काश्तकारी मालिकाना, काबिजाना सम्बन्ध नही है। प्रतिवादीगण कल्लापुरा ग्राम के स्थायी निवासी है। वादीगण की जायदाद से प्रतिवादीगण का कोई सम्बन्ध नही है खसरा नम्बर 4338 व उसमें निर्मित भवन वादीगण को प्रतिवादीगण को विधि कि किसी भी रीति सेस्तान्तरित करने का, हस्तान्तरण दस्तावेज पंजीयन कराने का वादीगण के कब्जे उपयोग उपभोग में व्यवधान करने का विधिक अधिकार नही है। वादीगण की आराजी खसरा नम्बर 4338 के हिस्से में बने भवन वादीगण को दीगर व्यक्ति को हस्तान्तरित करने पर आमदा है। प्रतिवादीगण ने वादीगण को उसकी कृषि भूमि से उसमें बने भवन से वंचित करने की वदनियति से दीगर व्यक्तियों से हस्तान्तरित करने की बातचीत कर रहे है प्रतिवादीगण की यह कार्यवाही अनाधिकार है जिससे हक हकूक वादीगण पर आघात है और वादीगण को अपूर्णीय क्षति है और भारी असुविधा है। वादीगण को कब्जे व खातेदारी की भूमि को व उसमें निर्मित कृषि भवन को उपयोग उपभोग करने का वादीगण को कब्जा बनाये रखने का विधिक अधिकार है और वादीगण के इस विधिक अधिकार में प्रतिवादीगण द्वारा व्यवधान करने पर आघात करने पर न्यायालय को वादीगण के हक में स्थाई निषेधाज्ञा जारी करने का अधिकार प्राप्त है।

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

Signature
Digitally signe
Date: 2026.05
Reason: Self

प्रतिवादीगण ने दिनांक 24.06.2009 के दिवस वादीगण की खातेदारी व कब्जे की भूमि खसरा नम्बर 4338 व उसमें बने कृषि भवन को हस्तांतरित करने के हस्तांतरण दस्तावेज पंजीयन कराने की ऐलानिया कहा है। वादीगण द्वारा मना करने पर प्रतिवादीगण झगडा फिसाद करने पर आमादा है वादीगण ने दिनांक 25.06.2009 के दिवस इस बावत अतिरिक्त जिला कलेक्टर महोदय करौली को एवं नगर पालिका करौली में आवेदन प्रस्तुत किया है जिसमें बताया गया है कि वादीगण की खातेदारी व कब्जे व उपयोग उपभोग की भूमि कृषि उपयोग हेतु भवन के सम्बन्ध में नगर पालिका करौली बेचान अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी न करें एवं सब रजिस्ट्रार करौली वयनामा पंजीयन तस्दीक नही रकें परन्तु प्रतिवादीगण अपनी नाजायज हरकतों से बाज नही आ रहे है और अवैध तौर पर हस्तान्तरण करने पर तुले हुए है। इसलिऐ यह वादपत्र प्रस्तुत करना आवश्यक आया है। प्रतिवादीगण ने वादीगण के कब्जे व उपयोग उपभोग में व्यवधान करने की, वादीगण को जबरन भूमि में व उसमें निर्मित कृषि उपयोग हेतु भवन से जबरन बेदखल करने की ऐलानिया कहा है। इसलिए वादीगण प्रतिवादीगण के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने की अधिकारी है। प्रतिवादी नम्बर 2 व 3 ने दिनांक 10.07.2009 को वादी जगन्नाथ द्वारा सब रजिस्ट्रार करौली के समक्ष आवेदन कर प्रतिवादी नम्बर 2 व 3 के विरूद्व वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र की जानकारी कराने के बावजूद अनाधिकार तौर पर अवैध रूप से दौराने दावा बद्री पुत्र जयलाल जाति मीना निवासी भॉकरी [illegible] मण्डरायल को वयनामा पंजीयन करा दिया है। उक्त [illegible] लिस पैन्डिस है शून्य है। वादीगण पर बाध्यकारी नही है। उक्त वयनामा हक हकूक वादीगण पर प्रभावहीन व शून्य है। और बेअसर है। अंत मे दावा वादी डिक्री किया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem Raj M
Date: 2026.05.01 13:01:39 IS
Reason: SelfAttested

बहस वकील उभयपक्ष का मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत राजस्व रिकॉर्ड साक्ष्य का विवेचन कर अवलोकन किया गया। प्रकरण का तनकीवार विवेचन किया जाना उचित है। तनकीवार विवेचन निम्न प्रकार है:-

विवाद्यक संख्या 1 को साबित करने का भार वादीगण पर है। वादी ने इस विवाद्यक के संबंध में नकल जमाबंदी संवत 2064-67 प्रदर्श-1 पेश की है एवं मौखिक साक्ष्य में वादी कैलाश का बयान लेखबद्व कराया है। जिस पर भूमि पर कब्जा वादीगण होना कथन किया है। जिसका कोई खण्डन प्रतिवादीगण द्वारा नहीं किया गया है। अतः विवाद्यक संख्या 1 वादीगण के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्व तय कर निर्णित किया जाता है।

विवाद्यक संख्या 2 ता 4 को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर है। प्रतिवादीगण ने इन विवाद्यक के संबंध में कोई साक्ष्य मौखिक व दस्तावेजी पत्रावली में पेश नहीं की है। अतः विवाद्यक संख्या 2 ता 4 प्रतिवादीगण के विरूद्व वादीगण के पक्ष में तय कर निर्णित किये जाते है।

विवाद्यक संख्या 6 को साबित करने का भार वादीगण पर है। वादीगण ने इस संबंध में जमाबंदी प्रदर्श-1 व वादी पीडब्ल्यू-1 का बयान लेखबद्व कराया है अन्य कोई स्वतंत्र साक्ष्य पत्रावली में पेश नहीं की है। वादीगण विवाद्यक संख्या 6 को साबित करने में असफल रहे है। वयनामा को शून्य घोषित कराने के हकदार नहीं है। अतः विवाद्यक संख्या 6 वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण के पक्ष मे तय कर निर्णित किया जाता है।

Signature No
Digitally signed b
Date: 2026.05.01
Reason: SelfAtte

विवाद्यक संख्या 5 अनुतोष है। विवाद्यक संख्या 1 के विवेचन से वादग्रस्त भूमि जमाबंदी संवत 2064-67 प्रदर्श-1 में वादी जगन्नाथ व प्रतिवादी नंबर 2 ता 7 के पिता व पति रामचरण के खातेदारी में दर्ज है। वादीगण भूमि के खातेदार काश्तकार है और प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराने

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

के हकदार है। विवाद्यक संख्या 6 को साबित नहीं करने के कारण वयनामा को शून्य घोषित कराने के हकदार नहीं है।

अतः दावा वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण आंशिक डिक्री किया जाता है कि प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वह आराजी खसरा नंबर 4337 लगायत 4346 कुल किता 8 कुल रकबा 2 बीघा 4 बिस्वा कस्बा करौली पटवार हल्का नंबर 9 तहसील करौली में वादीगण के कब्जेकाश्त में रूकावट नहीं करे एवं भूमि मे निर्माण नहीं करे एवं भूमि को रहन वय नहीं करें। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 23/12/25 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया ।

(प्रेमराज मीना)
उपखण्ड अधिकारी,
करौली

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Prem Raj Meena
Date: 2026.05.01 13:01:39 IST
Reason: SelfAttested